



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक 10/परीक्षा/2010/04.10.2010

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.10.2010

महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2010 (दोपहर 12.00) से 30.10.2010 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भर जा सकते हैं।
3. जिन आवेदकों द्वारा सहायक यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग हेतु जारी आयोग के विज्ञापन क्रमांक 07/परीक्षा/2010, दिनांक 5.7.2010 हेतु आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः इस विज्ञापन के तहत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऐसे आवेदक जो इस विज्ञापन के अनुरूप आयु संबंधी अर्हतायें रखते हैं वे इन पदों हेतु भी विचारित किये जायेंगे। इस विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले आवेदक लोक निर्माण विभाग हेतु विज्ञापित पदों हेतु विचारित नहीं किये जायेंगे। लिखित परीक्षा में सफल आवेदकों से साक्षात्कार के पूर्व अग्रमान्यता पत्रक प्राप्त कर तीनों विभागों हेतु संयुक्त चयन सूची जारी की जायेगी। इस विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले आवेदक केवल जल संसाधन विभाग तथा गृह निर्माण मंडल को ही अपनी अग्रमान्यता के रूप में चयनित कर सकेंगे।
4. इस विज्ञापन तथा विज्ञापन क्रमांक 07/परीक्षा/2010, दिनांक 5.7.2010 के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु संयुक्त लिखित परीक्षा दिनांक 26.12.2010 को इंदौर तथा भोपाल परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 5.12.2010 से 24.12.2010 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगे।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के अन्तर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.	विभाग/पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				विकलांग आरक्षण (अस्थिबाधित)	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
			अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.		
01.	सहायक यंत्री (सिविल) Assistant Engineer (Civil) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग	42	21	07	08	06	07	02	02	02	01 अनारक्षित अस्थिबाधित	भारत के किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अभियांत्रिकी संस्था से सिविल में उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, कोलकाता से समकक्ष प्रमाण पत्र।
02.	सहायक यंत्री (सिविल) Assistant Engineer (Civil) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल	03	00	00	01	02	00	00	01	01		उपरोक्तानुसार

- टीप-** (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं, अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी।

दो पद का विवरण

- (अ) पद का नाम : सहायक यंत्री (सिविल) Assistant Engineer (Civil)
(ब) विभाग का नाम : जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन/ मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल
(स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(द) पद स्थिति : अस्थायी
(इ) वेतनमान : रु. 15600-39100+5400/- ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(ज) अर्हता : भारत के किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अभियांत्रिकी संस्था से सिविल में उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, कोलकाता से समकक्ष प्रमाण पत्र।
(फ) कर्तव्य : जल संसाधन विभाग : अभियांत्रिकी कार्यालयीय तथा मैदानी कार्य। गृह निर्माण मंडल : आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों एवं परिसरों का निर्माण तथा उससे संबंधित समस्त कार्य।

टीप - संबंधित उपाधि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था की होनी चाहिए।

- तीन**
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं, आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।
 2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार आयु सीमा - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 28 वर्ष पूर्ण न की हो। आयु संगणना तिथि 01.01.2011 होगी।

पांच मध्यप्रदेश के मूल निवासियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

- आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-एक देखें।
मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लिखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

छः मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अर्हता -

- अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र

नहीं होगा।

- ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

सात महत्वपूर्ण-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

आठ अधिवाषिकी आयु-60 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तियों के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के 3 गुणा के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अस्थिबाधित विकलांग प्रत्याशियों को (शासन के परिपत्र क्रमांक एफ. 8-5/2004/आ.प्र./एक दिनांक 31.3.2005 में विहित प्रावधान के अनुसार) अंकों में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर सूचित किया जाएगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अन्धावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। **परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।**

दस परीक्षा की तिथि - लिखित परीक्षा दिनांक 26.12.2010 को (प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक) आयोजित की जायेगी।

ग्यारह परीक्षा केन्द्र - लिखित परीक्षा इंदौर तथा भोपाल स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है।

बारह आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

तेरह प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया - अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in अथवा www.mppsc.com या www.mppsc.nic.in से दिनांक 5.12.2010 से 24.12.2010 तक डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्रों की उपलब्धता की सूचना उक्त वेबसाइटों के अतिरिक्त समाचार पत्रों से भी दी जायेगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी।

चौदह यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

पंद्रह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

- (i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट-एक

- (ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देशों एवं जानकारीयों हेतु परिशिष्ट-बो
(iii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-तीन

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतम आयु सीमा में छूट

- (1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
 - (3) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।
- टीप:-** ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवापिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवापिकी आयु 60 वर्ष है)
- (4) विकलांग आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट देय होगी। यह छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विकलांग आवेदकों को उन्हें देय 5 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी। सहायक यंत्री (सिविल) के पद हेतु 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित विकलांग ही पात्र होंगे। अन्य विकलांग श्रेणी के आवेदक पद हेतु विचारित नहीं किये जायेंगे। विकलांग आवेदकों को चिकित्सा मंडल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें 40 प्रतिशत अथवा अधिक विकलांगता प्रमाणित हो ही मान्य किये जायेंगे।
 - (5) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित है) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियाजत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट 1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।
 - (6) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

- छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्त्या आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवानुसृत किया गया हो।
- (7) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिक्रमा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।
- टीप - परिशिष्ट-एक (एक)** में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा विदु क्रमांक (एक) के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें

- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/40/आ/84/3, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- टीप- (1) परिशिष्ट-एक (दो)** के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वोच्च अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।
- नोट-** उपरोक्त परिशिष्ट-एक (एक) परिशिष्ट-एक (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. सहायक यंत्री (सिविल) Assistant Engineer (Civil) के पद के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
 1. www.mponline.gov.in
 2. www.mppsc.com
 3. www.mppsc.nic.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फॉन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा

गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
9. **नूटि सुधार सुविधा** : आवेदक अपना आवेदन सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई नूटि होने पर आवेदन को अंतिम तिथि 30.10.2010 के पश्चात दिनांक 01.11.2010 से 10.11.2010 तक रुपये 50/- नूटि सुधार शुल्क का भुगतान कर केवल एक बार ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार किया जा सकेगा। यह सुधार आवेदक स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही कर सकेगा। आवेदन पत्रों में नूटि सुधार हेतु प्राप्त लिखित अभ्यावेदन मान्य नहीं किये जायेंगे तथा उन्हें सरसरी तौर पर नस्तीबद्ध किया जायेगा। **एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।**
10. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
2. **परीक्षा एवं आवेदन शुल्क**
 - (अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के लिए आवेदन शुल्क रुपये 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 60/- कुल रुपये 90/- देय होगा।
 - (ब) विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रु. 30/- तथा परीक्षा शुल्क रु. 60/- कुल रुपये 90/- देय होंगे। इस पद हेतु मात्र 40% या अधिक अस्थिबाधित विकलांग ही आवेदन कर सकेंगे।
 - (स) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 60/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 120/- कुल रुपये 180/- देय होंगे। उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को रु. 35/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अस्थिबाधित विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए कुल शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अस्थिबाधित विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए कुल शुल्क
90/- रुपये	180/- रुपये
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35/- रुपये अतिरिक्त देय होगा।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)

मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 9900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980
टीप:- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-
 01. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त में ही अथवा
 02. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें:-
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रिसोर्टेसी क्षेत्र, इंदौर

(0731) 2701624, 2701983

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शांति माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026

दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)

मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980
 3. **आवेदन की अंतिम तिथि**
 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30.10.2010 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4. **आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के समय निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा -**
आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

जाति के प्रमाण पत्र-
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएँ जाति प्रमाण हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाणपत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरान्त नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।

विकलांगता प्रमाण पत्र-
 विकलांग श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मंडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक लिफाफे पर विकलांग भी लिखें। (इस पद हेतु अस्थिबाधित विकलांगता का प्रतिशत 40 या अधिक होने पर ही विकलांग श्रेणी के आवेदकों को देय छूटों का लाभ प्राप्त होगा)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-3) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-5 से 09 तक) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-1) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-2) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-3) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
6. **अनुशासनिक निर्देश -**

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
2. प्रतिरूपण किया हो; या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
4. कूटचिंतित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
5. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
8. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
9. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -

- (क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या
- (ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-
(एक) आयोग द्वारा, लौ गयी किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;
(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और
- (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -
(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

7. **अनर्हताएँ -**

ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **प्रवेश पत्र -**

01. किसी भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

02. प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in तथा www.mponline.gov.in पर दिनांक 05.12.2010 से 24.12.2010 तक उपलब्ध रहेंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5/- रुपये शुल्क देय होगा।

03. यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग से संपर्क करें।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर- (0731) 2701624, 2701983

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शांति माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड,

भोपाल-422026, दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)

मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980

9. **यात्रा व्यय का भुगतान -**

1. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत न हों, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे -

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(2) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

ऐसे आवेदक अपने वर्तमान पते के निकटतम परीक्षा केन्द्र का ही चयन करें अन्यथा उन्हें यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।

2. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

सचिव